**Motion Regarding Reference of Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 to Joint Committee**

**THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN):** Speaker Sir, with your kind permission, I beg to move:

?that the Bill to enable and empower the Universities and other higher educational institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation, through co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Viksit Bharat Shiksha Adhishthan, to facilitate the Universities and other higher educational institutions to become independent self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 21 Members of this House to be nominated by the Hon?ble Speaker Lok Sabha and 10 Members of Rajya Sabha to be nominated by Hon?ble Chairman;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be, as near as may be, one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first part of the Budget Session 2026;

that in other respect, the Rules of Procedure and conduct of Business of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समर्थ बनाने और सशक्त करने, और उस प्रयोजन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के स्वतंत्र

स्वशासी संस्था बनने को सुकर करने के लिए और प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठता की अभिवृद्धि करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव एक-तिहाई के निकट होगी,

कि समिति बजट सत्र 2026 के पहले भाग के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष तय करेंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** क्या आप इसे जेपीसी में नहीं भेजना चाहते हैं? क्या आप चर्चा करना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बोलिए, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करवा लेते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समर्थ बनाने और सशक्त करने, और उस प्रयोजन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के स्वतंत्र स्वशासी संस्था बनने को सुकर करने के लिए और प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठता की अभिवृद्धि करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव एक-तिहाई के निकट होगी,

कि समिति बजट सत्र 2026 के पहले भाग के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष तय करेंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

माननीय अध्यक्ष **:** कई माननीय सदस्य यहीं पर ही ध्यान लगा लेते हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि यह ध्यान लगाने का स्थान नहीं है । आप ध्यान घर ही लगाकर आएं तो ठीक रहेगा । क्या मैं नाम लेकर बताऊँ कि ध्यान कौन लगा रहा है?

? (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर - 21, श्रीमती निर्मला सीतारमण ।

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):** Sir, what about Item No. 20? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह भी आयेगा ।

-